बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

अध्यक्ष
अरुण चन्द्र मिश्र
दूरभाष : 2526123 (R), 9835281295, 9939469410
महासचिव
सुशील कुमार
दूरभाष : 9431091417, 9431818484

पत्रांक :......79......   दिनांक ......24/6......

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः– स्व0 अरविन्द कुमार मिश्र, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरियरी, शेखपुरा की हत्या के संबंध में ।

महाशय,

दुःख के साथ कहना पड रहा है कि प्रशासनिक सेवा के एक पदाधिकारी की जधन्य हत्या थाने के बगल में हो गयी पर, तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नही किया जा सका है । स्व0 अरविन्द कुमार मिश्र नौजवान निंभिक एवं कर्त्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी थे । प्रखंड की कई योजनाओं की जाँच में अनियमितता पकडे जाने पर उन्हें धमकी दी जा रही थी तथा शिक्षकों की नियुक्ति में हुयी अनियमितता के मामले में उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु उन्हें प्राधिकृत किया गया था । दिनांक 22.06.08 को रविवारीय अवकाश होने के बाद भी प्रखंड जाकर सम्बंधित कागजात को तैयार कर रहे थे । आवास पर लौटते ही उनकी हत्या ललाट पर गोली मारकर कर दी गई ।

आप आवगत होंगे कि अरियरी प्रखंड में ही दिनांक 23.09.04 को तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अशोक राजवत्स की हत्या हो गयी थी और उस समय भी अपराधी दंडित नही हो सके थे ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ इस बात से क्षुब्ध है कि इतनी बड़ी अप्रिय घटना होने के बाद भी एक भी वरीय पदाधिकारी घटना स्थल जाकर, स्थानीय पुलिस को मार्गदर्शन देने की जहमत नही उठायी ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

अध्यक्ष
अरुण चन्द्र मिश्र
☎ : 2526123 (R), 9835281295, 9939469410
महासचिव
सुशील कुमार
☎ : 9431091417, 9431818484

पत्रांक :..............................

दिनांक ....

संघ आपसे अपेक्षा करती है और पूरजोर माँग करती है कि निम्नलिखित कार्य अविलम्ब सरकार करायें :–

1. दोषी व्यक्तियों की अविलम्ब गिरफ्तारी तथा स्पीडी ट्रायल ।
2. विधवा को स्व0 अरविन्द कुमार मिश्र के पूर्ण सेवाकाल में देय प्रोन्नति सहित वेतन का नियमित रूप से भुगतान ।
3. विधवा को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में 25 (पच्चीस) लाख रूपये का भुगतान ।
4. दोनों अबोध पुत्री को विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाई का खर्च का सरकार द्वारा वहन।
5. विधवा को उनके सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप पटना में एक आवास ।
6. विधवा को उनके शौक्षणिक योग्यता के अनुरूप अनुकम्पा पर नौकरी ।

24/10

अध्यक्ष
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ